फर्द अहकाम

प्रभावन सहाय बनाम रामचन्द्र व अन्य
उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर, जयपुर
TI 171/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]/6/2024	वकील प्रार्थी ने आज प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि० 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते हैं अत: प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 1546/21 ग्राम मानसिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान कराए, सीमा तय पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम मानसिंहपुरा उर्फ कपूरावाला पटवार हल्का कपूरावाला भू. अ. नि. मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या, नया 232 पुराना 113 के खसरा नम्बर 1545/21 रकबा 0.0142 हे० की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 1546/21 के उत्तरी सीमा में अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार छेड़छाड़, सीमा चिन्हों को नष्ट नहीं करे, प्रार्थी की आराजी सीमा पर अतिक्रमण व निर्माण कार्य नहीं करे तथा प्रार्थी को कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत नहीं करे मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि० डाक तलबाना पेश करे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली पेशी आगामी दिनांक 23/7/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
3/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को [illegible] बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगवाने के बाद भी [illegible] अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नक्शा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:55:00 IST
Reason: SelfAttested